



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1937 (श0)  
(सं0 पटना 1006) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015

सं० 11/आ०नी०-I-10/2015 सा०प्र०-13185

I kekU; iZkkI u foHkkx

I dYi

3 fl rEcj 2015

fo"K; & fcgkj jkT; ds oS s Lorærk I sukfu; k; ftUga dSnz I jdkj }kjk iaku Lohdr g\$ ds  
iKrK@iKrH@uKrH@urhuh dks jkT; I jdkj dh I okvka ea fu; fDr ea 2 ½ ifr'kr  
{Krt vkj{k.k inku djus ds I cark ea

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन, बिहार के द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाता रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों में जो सुविधा प्रदान की जा रही है, उसी की भाँति बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को भी सुविधा प्रदान की जाय। इस संदर्भ में दिनांक 30.07.2015 को प्रधान सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के साथ बैठक की गई।

बिहार राज्य के निकटवर्ती अन्य राज्यों से उनके राज्यान्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही सुविधाओं से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त की गईं।

एतद् संबंधी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उत्तराखंड राज्य की सेवाओं में केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2 (दो) प्रतिशत क्वैतिज आरक्षण दिया जा रहा है।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में

2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाय, अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

**vkn's k&** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र राम,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1006-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>